Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या करने के आरोपियों अमर व राजेन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07-07 वर्ष कारावास व 60-60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्तों अमर पुत्र राम सिंह निवासी बलवन्त कॉलोनी थाना कैंट जनपद बरेली व राजेन्द्र पुत्र कालीचरन खानाबदोश जनपद बरेली द्वारा धोखाधड़ी कर रुपये लेने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 143/2019 धारा 420/506/467/468/471 भादवि व 66 डी पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 14.08.2024 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों अमर व राजेन्द्र प्रत्येक को 07-07 वर्ष का कारावास व 60-60 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी त्रिनेत्र व कुन्दन को हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त त्रिनेत्र पुत्र किरसन निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली व कुन्दन पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम खानपुर कलाँ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 929/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 14.08.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त त्रिनेत्र व कुन्दन को दोषी पाते हुए हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनांक 14.08.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 653/24 धारा 309(4)/351(2)/61(2)/317(2)/140(1)/62 बीएनएस में वांछित 01 शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटे हुए रुपयों में से 12,500 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02-08-2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अर्पित अग्रवाल पुत्र विजय कुमार निवासी गांधी बाजार मौ0 मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने तहरीर दी कि 04 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की मां पत्नी व पुत्रों को आतंकित करते हुये गले पर चाकू लगाकर 06 लाख 30 हजार रुपये नकद व मंगलसूत्र लूट कर ले गये। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 653/24 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

653/24 धारा 309(4)/351(2)/61(2)/317(2)/140(1)/62 बीएनएस में वांछित 01 शातिर लुटेरे को जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग जनपद से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटे हुए रूपयों में से 12,500 रुपये बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में ही 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन उर्फ सैफू पुत्र शौकत पास माता कालोनी कस्बा बागपत व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **लूटे हुये रुपयों में से 12,500 रुपये नगद।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 611 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-का0 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 14.08.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 689/24 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 गाड़ी ईको नं0- DL-01LV-1262 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी गौरव पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात अभियुक्त ने खण्ड विकास कार्यालय बागपत से उसकी गाड़ी ईको नं0 DL-01LV-1262 चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 689/24 धारा 303(2) पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 689/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 गाड़ी ईको नं0- DL-01LV-1262 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरिओम पुत्र रामकुमार निवासी मौ0 शान्तिनगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- **चोरी की हुई 01 गाड़ी ईको नं0- DL-01LV-1262 ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 कैलाशचन्द थाना बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0श्री नकुल राठी थाना बागपत जनपद बागपत।

3-हे0का0 242 सचिन कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

4- का0 333 नितेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा **दिनाँक 14.08.2024**

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई 01 गाड़ी बलेनो नं0 DL-2CBB-4932 व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई 01 गाड़ी बलेनो नं0 DL-2CBB-4932 व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू कुमार उर्फ पीलू पुत्र प्रकाश निवासी मोदीनगर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- दिल्ली से चोरी की हुई 01 गाडी बलेनो कार नं0 DL-2CBB-4932 (संबंधित एफआईआर 018014 ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट क्राईम ब्रांच दिल्ली)
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 नरेशचन्द्र यादव थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. है0का0 45 अरुण कुमार थाना खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत।
3.है0का0 442 मौ0 आफाक थाना खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत।
4.है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत।
5.का0 1008 मिथुन कुमार थाना खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 14.08.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 169/24 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर, 01 अभियुक्त को किया गिफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 169/24 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर, 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की उर्फ विकास पुत्र अशोक निवासी ग्राम गठीना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार एवं बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री नन्हे सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2-म0का0 526 कुसुम थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3-का0 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4- का0 289 सुधीर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक -14.08.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 563/23 धारा 307/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

क्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2023 को थाना बडौत पर वादी हवासिंह पुत्र ब्रहम सिंह निवासी आजाद नगर कस्बा बड़ौत थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.आकाश पुत्र राजवीर व 2.राजवीर पुत्र लालाराम निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत व दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके मित्र सोनू व मोनू पुत्रगण नवाब निवासी विजयनगर कस्बा व थाना बडौत के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से फावडे से हमला कर दिया । जिसमें मोनू व सोनू गंभीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के

आधार पर थाना बडौत पर मु0असं0 563/23 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 563/23 धारा 307/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जार रही है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बड़ौत पुलिस द्वारा पूर्व में ही 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कोमल पुत्र राजवीर निवासी कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक -14.08.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 525/24 धारा 109/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.08.2024 को थाना बड़ौत पर वादी आशीष पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-विक्की उर्फ मालु, 2-आयुष निवासीगण ग्राम बाबली थाना बडौत जनपद बागपत एवं अन्य साथियों ने उसके भतीजे अक्षय व उसके दोस्त रोनक को जान से मारने की धमकी देते हुये उन पर फायर कर दिया जिससे उसके भतीजे के कन्धे में गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 525/24 धारा 109/351(2) बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 525/24 धारा 109/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 352/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है एवं अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की उर्फ मालू पुत्र कृष्णपाल निवासी बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 550 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 14.08.2024**

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1- अनिल पुत्र जगदीश निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

2- संजीव पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

3- सत्यवान पुत्र ओमवीर निवासी बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2- उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
3- है0का0 226 धर्मेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
4-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट थाना बालैनी
जनपद बागपत

दिनाँक 14.08.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

सुभाष पुत्र जयपाल निवासी ग्राम नवादा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 940 अभिषेक शेखावत थाना बालैनी जनपद बागपत ।